उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–05/2019–20

इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो

बनाम्

श्री जगदीश प्रसाद सेन

–: आदेश :–

09.10.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत श्री जगदीश प्रसाद सेन पिता–श्री मोतीलाल सेन (ऋणकर्त्ता) सा0–सेक्टर 9/बी0, क्वा0नं0–128, स्ट्रीट–11 बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

पश्चम पक्ष इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो की ओर से शाखा प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All part and parcel of the property in the name of Jagdish Prasad Sen consisting of Plot no. 2188, Khata no. 12, area 5.25 Mouza Karharia, Thana Balidih Thana no. 28 Bokaro) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 5,00,000.00 (पाँच लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.03.2011 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 10,59,922/– एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी पिछले कई तिथियों से लगातार सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित हैं। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि विपक्षी ने दिनांक–07.07.2020 को ही शपथ पत्र देकर कहा गया कि वे ऋण चुकाने में असमर्थ है। अतः बैंक में उनके द्वारा गिरवी रखे गए सम्पत्ति को बिक्री/निलामी करते हुए ऋण वसुल करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में और कुछ भी कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो के अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.07 18:00:25 +05:30
Location: 192.168.1.104